

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0बी0 पंत इंजी0 कालेज,
घुड़दौड़ी, पौड़ी।

मानव संसाधन विकास विभाग

देहरादून

दिनांक 3 दिसम्बर, 2004

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान की तृतीय एवं अन्तिम किस्त की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-675/लेखा दिनांक 10-11-2004 तथा शासनादेश संख्या- 135/ प्रा0शि0/ 2004 दिनांक 26-4-2004 तथा शासनादेश संख्या- 358 (A)/प्रा0शि0/ 2004 दिनांक 11-8-2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में दिनांक 1-12-2004 से 31-3-2005 तक जी0बी0 पंत इंजी0 कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी के लिए संलग्न विवरण में दर्शाये गये विभिन्न मदों पर व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 56.66 लाख (रू0 छप्पन लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संलग्न में उल्लिखित मदों के लिए निर्दिष्ट धनराशि के अन्दर ही व्ययों को सीमित रखा जायेगा तथा इस धनराशि का पुनर्विनियोग किसी दशा में बिना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा। यात्रा व्यय, टेलीफोन, वाहन अनुरक्षण, पेट्रोल आदि पर होने वाला व्यय भी आवंटित सीमा के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा जैसे अवकाश नकदीकरण, स्कूटर अग्रिम के लिए कोई व्यय अनुमन्य नहीं माना जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है कि जैसे व्यय करने के लिए बजट मैनुवल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

3- संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौड़ी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2203- तकनीकी शिक्षा-00-112- इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान- 05 -00- इंजीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी, (पौड़ी) -20 सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता (आयोजनेत्तर) के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-340/वित्त अनु0-4/2004 दिनांक 2-12-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
/ (राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 2- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4
- 7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
/ (राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।
/

जी०बी० पन्त इंजीनियरिंग कालेज पौडी गढ़वाल वित्तीय वर्ष 2004-05 की
तृतीय किस्त - आयोजनेत्तर पक्ष माह दिसम्बर, 2004 से मार्च, 2005 तक

क्र०स०	मद का नाम	धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3
1	वेतन एवं भत्तें	60.00
2	यात्रा भत्ता	0.40
3	कार्यालय प्रासंगिक व्यय	0.65
4	टेलीफोन	0.50
5	अतिथि व्यय	0.30
6	विज्ञापन	0.95
7	पी०ओ०एल० / वाहन अनुरक्षण	0.75
8	चिकित्सा सुविधा	0.25
9	सिविल रख रखाव	1.00
10	कालेज सफाई व्यवस्था	0.50
11	मैकेनिकल रख-रखाव, जल	18.00
12	क- विद्युत व्यय- कालेज	12.00
	ख- विद्युत व्यय- जलापूर्ति	18.00
13	डी०ओ०सी०	0.50
14	छात्रवृत्ति	0.70
15	परीक्षा व्यय	0.20
16	सुरक्षा गार्डों पर व्यय	8.00
17	अन्य अप्रत्याशित व्यय	2.00
18	वैधानिक व्यय	0.25
19	सेमिनार / सिम्पोजियम	0.15
20	छात्र गतिविधियां	0.50
21	खेलकूद / सांस्कृतिक गतिविधियां	0.50
22	हाट एण्ड कोल्ड वेदर	2.00
23	मानदेय	3.00
24	स्टूडेंट हाबीज क्लब	3.00
25	वर्दी	0.20
26	पुस्तकालय व्यय	1.00
	योग	132.80
	घटाइये अनुमानित प्राप्तियां एवं बचतें	76.14
	तृतीय किस्त हेतु वांछित धनराशि	56.66

(कुल रू० छप्पन लाख छियासठ हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।